**भारत सरकार**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं0 2533**

**दिनांक 08 अगस्‍त, 2018**

**उज्ज्वला योजना के तहत अपात्र लोगों को**

**गैस कनेक्शन**

**2533. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः**

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अपात्र लोगों को गैस कनेक्शन दिए जाने की जानकारी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनपद बांदा, उ॰ प्र॰ में राठौर बडगाव में इंडेन ग्रामीण वितरण द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कई अपात्र लोगों को गैस कनेक्शन भ्रष्टाचार के जरिए दिए गए हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त एजेंसी द्वारा नियुक्त आधिकारिक व्यक्तियों को अवैध तरीके से सब-डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर ग्राम बारा एवं सालहेपुर में सिलेंडर थोक में उनके हवाले किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री**

**(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)**

(क) : प्रधान मंत्री उज्‍ज्वला योजना (पीएमयूवाई)  के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना से अथवा वन निवासियों सहित सात श्रेणियों अर्थात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लाभार्थी,अंत्योदय अन्‍न योजना (एएवाई) के लाभार्थी, वन निवासी, अत्‍यधिक पिछड़े वर्ग, द्वीपों/नदी द्वीपों और चाय तथा पूर्व चाय बागान जनजाति से की जाती है। एलपीजी कनेक्‍शन डी-डुप्‍लीकेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिवार की व्यस्‍क महिला सदस्‍य के नाम पर इस शर्त पर जारी किया जाता है कि परिवार के किसी सदस्‍य के नाम पर एलपीजी कनेक्‍शन नहीं हो।

(ख): इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसी) ने बताया है कि दिनांक 31.07.2018 की स्थिति के अनुसार मैसर्स राठौड़ बड़ागांव इंडेन ग्रामीण वितरक ने पीएमयूवाई के तहत 4146 एलपीजी कनेक्‍शन जारी किए हैं। इस वितरक के विरूद्ध अनियमितता का कोई सिद्ध मामला नहीं है।

(ग) और (घ): ग्राम बाड़ा और साल्हेपुर के एलपीजी उपभोक्‍ताओं को मैसर्स राठौड़ बड़ागांव इंडेन ग्रामीण वितरक द्वारा आपूर्ति की जाती है और आईओसी ने बताया है कि वितरक द्वारा गैर-कानूनी उप वितरकों को नियुक्‍त करने की कोई घटना उनकी जानकारी में नहीं आई है।